न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021 / 239

1. सलगराम आयु 48 वर्ष आत्मज स्व0 चतरा ।
2. जगदीश आयु 45 वर्ष आत्मज स्व0 चतरा ।
3. सुगना बाई आयु 55 वर्ष पुत्री स्व0 चतरा ।
4. लीला बाई आयु 40 वर्ष पुत्री स्व0 चतरा ।
5. ललता बाई आयु 33 वर्ष पुत्री स्व0 चतरा ।
6. मोत्या बाई आयु 75 वर्ष पत्नी स्व0 चतरा जाति मेघवाल निवासीगण साण्डपुर तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. किशना आयु 55 वर्ष पुत्र नारायण जाति चमार निवासी अमरपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. बालाराम आयु 38 वर्ष पुत्र उदा उर्फ दूधा ।
3. हरिशचन्द्र आयु 35 वर्ष पुत्र उदा उर्फ दूधा जाति मेघवाल निवासीगण साण्डपुर तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 04.08.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.09.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम साण्डपुर तहसील रामगंजमण्डी में खाता संख्या 45 में खसरा नम्बर 409 की रकबा 1.01 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण कम 2 व 3 के संयुक्त खाते की भूमि है । उक्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी कम 2 व3 का 1/2 हिस्सा दर्ज है । उक्त भूमि पारिवारिक विभाजन में सम्पूर्ण रूप से प्रार्थीगण प्राप्त हुई है । प्रार्थीगण उक्त भूमि पर उनके स्व0 पिता के जीवनकाल से ही काबिज काश्त है । प्रार्थी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि के लगवा दक्षिण तरफ अप्रार्थी कम 01 के खाते व कब्जे काश्त की ग्राम साण्डपुर के खसरा नम्बर 410 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि स्थित है । राज्य सरकार द्वारा जब रामगंजमण्डी में ग्राम जुल्मी जाने वाली सडक का निर्माण किया गया था तब उक्त सडक प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 409 व अप्रार्थी कम 01 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 410 में होकर बना था । उक्त सडक इस प्रकार बनायी गई थी कि जिसमें प्रार्थीगण के खाते की खसरा नम्बर 409 की भूमि का दक्षिण पश्चिम का कोना रोड के लगवा दक्षिण पश्चिम कोने पर छूट गया व अप्रार्थी कम 01 के खाते की खसरा नम्बर 410 की भूमि का उत्तरी पूर्वी छोट भू–भाग कोने के रूप में सडक के उत्तर पूर्व में सडक के लगवा छूट गया । सडक बन जाने के बाद प्रार्थीगण के स्व0 पिता चतरा जी व अप्रार्थी कम 01 के स्व0 पिता नाराण के मध्य आपसी सहमति बनी कि प्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा नम्बर 409 की भूमि के रोड से लगवा दक्षिण पश्चिम कोने की भूमि के त्रिकोणिय भू–भाग को अप्रार्थी कम 01 के स्व0 पिता नाराण जी काश्त करते रहेगे । रोड से लगवा अप्रार्थी कम 01 के खाते की खसरा नम्बर 410 की भूमि के उत्तरी पूर्वी भू–भाग के कोने की भूमि को प्रार्थीगण के पिता काश्त करते रहेंगे । उक्तानुसार गत 50 वर्ष से भी अधिक वर्षों से प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 01 के स्व0 पिता व उनकी मृत्यु के बाद से प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 01 अपनी–अपनी भूमि में उक्त वर्णित कोने की भूमि को मिलाकर निरन्तर रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं । परन्तु अब अप्रार्थी कम 01 के मन में बदयान्ति आ गई है और वह आपसी सहमति से अदला बदली कर काश्त की जारी भूमि में से उसके खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 410 की रकबा 0.16 हैक्टर भूमि को सम्पूर्ण रूप से किसी अन्य व्यक्ति को विकय कर कब्जा अन्तरित करने पर आमादा है । यदि दौराने वाद उक्त भूमि को अप्रार्थी कम 01 ने अन्तरित कर दिया तो प्रार्थी का वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही खसरा नम्बर 410 की लगभग 0.05 हैक्टर भूमि के भू–भाग के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 06.09.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.09.201 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 2 व 3 के

संयुक्त खाते की कृषि भूमि वाके ग्राम साण्डपुर तहसील रामगंजमण्डी में खाता संख्या 45 में खसरा नम्बर 409 रकबा 1.01 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/2 व अप्रार्थी कम 2 व 3 का 1/2 हिस्सा दर्ज है । उक्त भूमि पारिवारिक विभाजन में सम्पूर्ण रूप से प्रार्थीगण को प्राप्त हुई है । पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट कम 01 के स्व0 पिता व उनकी मृत्यु के बाद से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 01 अपनी–अपनी भूमि में कोने की भूमि को मिलाकर निरन्तर रूप से काश्त करते चले आ रहे है परन्तु रेस्पोडेन्ट कम 01 के मन में बदयान्ति आ गई है और वह आपसी सहमति से बदला बदली कर काश्त की जा रही भूमि में से उसके खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 410 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि को सम्पूर्ण रूप से किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण करने पर आमादा है । परीक्षण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.09.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 2 व 3 के संयुक्त खाते की कृषि भूमि वाके ग्राम साण्डपुर तहसील रामगंजमण्डी में खाता संख्या 45 में खसरा नम्बर 409 रकबा 1.01 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/2 व अप्रार्थी कम 2 व 3 का 1/2 हिस्सा दर्ज है । उक्त भूमि पारिवारिक विभाजन में सम्पूर्ण रूप से प्रार्थीगण को प्राप्त हुई है । उक्त भूमि जुल्मी जाने वाली सडक के दक्षिण व उत्तर तरफ स्थित है एवं उक्त भूमि के दक्षिण तरफ भूमि के कुछ भू–भाग में रामगंजमण्डी से जुल्मी जाने वाला रोड बना हुआ है भूमि का अधिकतम भू–भाग उक्त वर्णित सडक के उत्तर तरफ स्थित है व भूमि का एक छोटा टुकडा त्रिकोण में सडक के लगवा दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है । पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट कम 01 के स्व0 पिता व उनकी मृत्यु के बाद से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 01 अपनी–अपनी भूमि में कोने की भूमि को मिलाकर निरन्तर रूप से काश्त करते चले आ रहे है परन्तु रेस्पोडेन्ट कम 01 के मन में बदयान्ति आ गई है और वह आपसी सहमति से बदला बदली कर काश्त की जा रही भूमि में से उसके खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 410 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि को सम्पूर्ण रूप से किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण करने पर आमादा है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में है । भविष्य में वाद– बहुलता नहीं बढे इसलिए प्रकरण में स्थगन जारी किया जावे । परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.09.2021 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 के अनुसार ग्राम साण्डपुर तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 410 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि किशना पुत्र नाराण के खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम साण्डपुर तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 409 रकबा 1.0100 हैक्टर भूमि चतरा, उदा पुत्र भैरू के नाम खातेदारी में दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण संख्या 247 व 290 का नोट अंकित है । फोटो प्रति नक्शा ट्रेस संलग्न है ।

9. पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ग्राम साण्डपुर तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 410 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि अप्रार्थी कम 01 किशना पुत्र नाराण के खातेदारी में दर्ज है । रेस्पोडेन्ट कम 01 उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । अपीलान्टगण ने खसरा नम्बर 410 रकबा 0.05 हैक्टर भू–भाग पर अपना सहमति के आधार पर कब्जा होना बताया है । परन्तु खसरा नम्बर 410 के उक्त भू–भाग पर कब्जा होने के समबन्ध में उनके द्वारा कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे उनके कथन की पुष्टि होती हो । कोई पारिवारिक विभाजन सम्बन्धी दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया । रेस्पोडेन्ट कम 01 उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । इस प्रकार प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में होना साबित नहीं है । हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर स्पष्ट (Speaking) निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.09.2021 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 04.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा